ए.

महाराष्ट्र राज्य और अन्य

वी.

ग्रेटशिप (इंडिया) लिमिटेड

(2022 की सिविल अपील संख्या 4956)

बी.

20 सितंबर, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

वैकल्पिक उपाय-भारत के संविधान की उपलब्धता-Art.226-महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2002 के तहत लिखित याचिका -धारा 23-केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956-उपरोक्त अधिनियमों के तहत ब्याज और जुर्माने के साथ कर देयता का निर्धारण करने वाले निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश-प्रतिवादी-निर्धारिती ने सीमा के आधार पर मूल्यांकन आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की-उच्च न्यायालय ने मूल्यांकन आदेश और मांग नोटिस को खारिज कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया:कानूनों में निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश के खिलाफ और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ, न्यायाधिकरण के समक्ष एक अपील/संशोधन का अधिकार प्रदान किया गया है-इस प्रकार, जब कोई वैकल्पिक/वैधानिक उपाय उपलब्ध होता है, तो न्यायिक विवेक की मांग होती है कि अदालत संवैधानिक प्रावधान के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से परहेज करे-उच्च न्यायालय ने वैधानिक उपायों को दरकिनार करते हुए मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर विचार करने में गंभीर गलती की-उसे प्रत्यर्थी को अपील के वैधानिक उपचार का लाभ उठाने और उसके बाद कानून के तहत प्रदान किए गए अन्य उपायों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए था-इसके अलावा, तथ्यों पर गंभीर विवाद हैं कि क्या मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन और अन्य

(2010) 8 एससीसी **110:[2010] 9** एस**.** सी**.** आर**. 1-**निर्भर।

एच.

840 ए.

841

महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम ग्रेटशिप (भारत) लिमिटेड ए

टीटाघुर पेपर मिल्स कं**.** लिमिटेड बनामउड़ीसा राज्य **(1983)**

2 एससीसी 433:[1983] 2 एससीआर 743; पंजाब नेशनल बैंक बनाम ओ. सी. कृष्णन (2001) 6 एससीसी 569:[2001] 1 पूरक।

एस**.** सी**.** आर**. 466;** राज कुमार शिवहरे बनाम निदेशालय

प्रवर्तन (2010) 4 एससीसी 772:[2010] 4 एससीआर 608;

मेसर्स फिल्टरको और एक अन्य बनाम बिक्री कर आयुक्त**,** मध्य प्रदेश और एक अन्य **(1986) 2** एस**.** सी**.** सी**. 103:[1986] 1** एस**.** सी**.** आर**. 239;** सहायक आयुक्त **(**सी**.** टी**.)** एल**.** टी**.** यू**.** और एक अन्य बनाम अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड **(2009) 8**

बी.

एससीसी 209:[2009] 11 एससीआर 953; व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन

ट्रेडमार्क पंजीयक**,** मुंबई **(1998) 8** एस**.** सी**.** सी**. 1:**

सी.

[1998] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 359-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[1983] 2 एससीआर **743**

पैरा **4.2 [2001] 1** का उल्लेख किया गया है।पैरा **4.2 [2010] 4** एस**.** सी**.** आर**. 608** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 466**

डी.

पैरा **4.2** में संदर्भित

[2010] 9 एससीआर **1**

पैरा **4.2** पर निर्भर

[1986] 1 एससीआर **239**

पैरा **5.1** में संदर्भित

ई.

[2009] 11 एससीआर **953**

पैरा **5.1 [1998] 2** का उल्लेख किया गया है।पैरा **5.1** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 359**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील संख्या 4956।

एफ.

2020 की रिट याचिका (स्टाम्प) संख्या 92630 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 30.04.2021 से।सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, सुश्री श्वेतल शेपाल, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

जी.

रफीक दादा, सीनियर एड., अजय भार्गव, श्रीमती वनिता भार्गव, सुदिप्ता भट्टाचार्जी, ओमकार शर्मा, अरियदीप रॉय, सुश्री त्रिशला त्रिवेदी, मेसर्स खेतान एंड कंपनी, एड.प्रत्यर्थी के लिए।

एच.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा 2020 की रिट याचिका (स्टाम्प) संख्या 92630 में पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश और मांग के विलंबित नोटिस को भी रद्द कर दिया है, महाराष्ट्र राज्य और अन्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

बी.

2. कि प्रत्यर्थी-मूल रिट याचिकाकर्ता को महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर, 2002 (इसके बाद 'एम. वी. ए. टी. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (इसके बाद 'सी. एस. टी. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत कार्यवाही के अधीन किया गया था।निर्धारण अधिकारी ने संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने और एम. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 23 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत इसका मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसका कारण दिखाने के लिए निर्धारिती को दिनांक 01.02.2018 का मूल्यांकन नोटिस जारी किया।

सी.

डी.

2.1 रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता ने आवश्यक दस्तावेज जमा किए और 03.05.2018 दिनांकित पत्र के माध्यम से कारण भी दिखाया।कि एक व्यक्तिगत सुनवाई 16.03.2020 पर तय की गई थी।हालाँकि, 16.03.2020 पर मूल्यांकन अधिकारी उपलब्ध नहीं थे और इसलिए कोई सुनवाई नहीं हुई।रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आकलन अधिकारी को 17.03.2020,18.03.2020 और 19.03.2020 पर कई टेलीफोन कॉल किए गए थे, लेकिन ऐसी कोई सुनवाई नहीं हुई।रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, दिनांक 20.03.2020 के पत्र के माध्यम से मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि विचाराधीन वित्तीय वर्ष के लिए संबंधित दस्तावेज पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके थे और व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध किया गया था।निर्धारण अधिकारी ने एम. वी. ए. टी. अधिनियम और सी. एस. टी. अधिनियम के तहत ब्याज और जुर्माने के साथ कर देयता का निर्धारण करने के लिए 20.03.2020 पर एक आदेश पारित किया।

ई.

एफ.

2.2 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष किसी भी अपील को प्राथमिकता दिए बिना, प्रत्यर्थी-निर्धारिती-मूल रिट याचिकाकर्ता ने एम. वी. ए. टी. अधिनियम और सी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत पारित मूल्यांकन आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि 20.03.2020 पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था और इसे जुलाई, 2020 के महीने में पारित किया गया था, जो सीमा की अवधि से परे था।उच्च न्यायालय ने ए के तहत मूल्यांकन आदेश के खिलाफ उक्त रिट याचिका पर विचार किया है।

जी.

एच.

843

महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम ग्रेटशिप (भारत) लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.] ए.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 ने मूल्यांकन आदेश और मांग नोटिस को रद्द करने और रद्द करने का विवादित निर्णय और आदेश पारित किया है।

2.3 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, महाराष्ट्र राज्य और अन्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

बी.

3. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता द्वारा गुण-दोष और मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश पर प्रस्तुतियों की संख्या की गई है।हालाँकि, नीचे दिए गए कारणों से, हमारी राय है कि मूल्यांकन आदेश के खिलाफ, उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था और निर्धारिती को पहली अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष पहली अपील करने के लिए हटा दिया जाना चाहिए था।इसलिए, हम योग्यता के आधार पर प्रस्तुतियों को विस्तार से नहीं बता रहे हैं।

सी.

4. अपीलार्थीगण की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री सचिन पाटिल ने जोरदार ढंग से कहा है कि एम. वी. ए. टी. अधिनियम और सी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश के खिलाफ, उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था।

डी.

4.1 इसके बाद अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्धारिती के पास पहले अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील के माध्यम से एक वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था और उक्त उपाय को आगे बढ़ाया जाना चाहिए था, क्योंकि इस बारे में बहुत गंभीर विवादित तथ्य थे कि क्या मूल्यांकन आदेश 20.03.2020 पर या 14.07.2020 (जैसा कि निर्धारिती द्वारा आरोप लगाया गया था) पर पारित किया गया था।4.2 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और निर्णयों पर भरोसा करना

ई.

एफ.

टीटाघुर पेपर मिल्स कं. लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय का बनाम.उड़ीसा राज्य **(1983) 2** एस. सी. सी. **433;** पंजाब नेशनल बैंक बनाम ओ. सी. कृष्णन **(2001) 6** एस. सी. सी. **569;** राज कुमार शिवहरे बनाम प्रवर्तन निदेशालय **(2010) 4** एस. सी. सी. **772;** और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन और अन्य **(2010) 8** एस. सी. सी. **110,** को अनुमति देने के लिए प्रार्थना की जाती है।

जी.

वर्तमान अपील।5. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रफीक दादा ने प्रस्तुत किया है कि अभिलेख पर सामग्री पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा है कि मूल्यांकन आदेश 20.03.2020 पर पारित नहीं किया गया था और बाद में पारित किया गया होगा, यानी 31.03.2020 से परे और इसलिए क्योंकि मूल्यांकन आदेश से परे पारित किया गया था

एच.

अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा की अवधि, उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर विचार करने और मूल्यांकन आदेश को रद्द करने और रद्द करने में उचित ठहराया गया था।

5.1 प्रत्यर्थी-निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रफीक दादा ने अपने इस कथन के समर्थन में इस न्यायालय के निम्नलिखित फैसलों पर भरोसा किया है कि उच्च न्यायालय ने मूल्यांकन के आदेश के खिलाफ रिट याचिका पर सही विचार किया है।

बी.

1. मेसर्स फिल्टरको और एक अन्य बनाम बिक्री कर आयुक्त, मध्य प्रदेश और एक अन्य, (1986) 2 एस. सी. सी. 103;

2. सहायक आयुक्त (सी. टी.) एल. टी. यू. और अन्य बनाम अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड, (2009) 8 एस. सी. सी. 209; और

सी.

3. व्हर्लपूल निगम बनाम ट्रेडमार्क पंजीयक, मुंबई, (1998) 8 एस. सी. सी. 1

5.2 मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा है कि वर्तमान मामले में पहले के मूल्यांकन आदेश के लिए, प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा गुण-

दोष के आधार पर निर्धारिती के खिलाफ निर्णय लिया गया था और इसलिए प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील करना एक औपचारिकता हो सकती है और इसलिए मूल रिट याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की।

डी.

6. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

ई.

शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि एम. वी. ए. टी. अधिनियम और सी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश के खिलाफ, निर्धारिती ने सीधे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका को प्राथमिकता दी।यह विवाद में नहीं है कि क़ानून निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश के खिलाफ और पहले अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ, न्यायाधिकरण के समक्ष अपील/संशोधन के अधिकार का प्रावधान करते हैं।मामले के उस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय को अधिनियम के तहत वैधानिक उपचार की उपलब्धता को देखते हुए मूल्यांकन आदेश को चुनौती देने वाली भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था। इस स्तर पर, सत्यवती टंडन (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को संदर्भित करने की आवश्यकता है, जिसमें इस न्यायालय को वैधानिक उपायों को पारित करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका की सुनवाई पर विचार करने का अवसर मिला था।इस न्यायालय के पहले के फैसलों पर विचार करने के बाद, पैराग्राफ 49 से 52 में, यह निम्नानुसार देखा गया और अभिनिर्धारित किया गयाः

एफ.

जी.

एच.

845

महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम ग्रेटशिप (भारत) लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

“49. टीटाघुर पेपर मिल्स कंपनी में व्यक्त किए गए विचार।

लिमिटेड बनाम।उड़ीसा राज्य (1983) 2 एस. सी. सी. 433 को सी. सी. ई. बनाम डनलप इंडिया लिमिटेड (1985) 1 एस. सी. सी. 260 में निम्नलिखित शब्दों में प्रतिध्वनित किया गया थाः(एस. सी. सी. पी. 264, पैरा 3)

“3. ... अनुच्छेद 226 का उद्देश्य शॉर्ट-सर्किट या वैधानिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करना नहीं है।यह केवल वहीं है जहां असाधारण स्थितियों की मांगों को पूरा करने के लिए वैधानिक उपचार पूरी तरह से अनुपयुक्त हैं, उदाहरण के लिए जहां क़ानून के अधिकार सवाल में हैं या जहां निजी या सार्वजनिक गलतियां इतनी अटूट रूप से मिश्रित हैं और सार्वजनिक चोट की रोकथाम और सार्वजनिक न्याय की पुष्टि के लिए यह आवश्यक है कि संविधान के अनुच्छेद 226 का सहारा लिया जा सकता है।लेकिन फिर न्यायालय के पास क़ानून द्वारा प्रदान किए गए वैकल्पिक उपचार को दरकिनार करने के लिए अच्छा और पर्याप्त कारण होना चाहिए। निश्चित रूप से राजस्व से जुड़े मामले जहां वैधानिक उपाय उपलब्ध हैं, ऐसे मामले नहीं हैं। हम इस तथ्य पर भी न्यायिक ध्यान दे सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकांश याचिकाएं केवल अंतरिम आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से दायर की जाती हैं और उसके बाद किसी न किसी माध्यम से कार्यवाही को बढ़ाया जाता है।अभ्यास को निश्चित रूप से दृढ़ता से हतोत्साहित करने की आवश्यकता है।”

बी.

सी.

डी.

50. पंजाब नेशनल बैंक बनाम ओ. सी. कृष्णन (2001) 6 एस. सी. सी

569 इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका डी. आर. टी. अधिनियम की धारा 19 के तहत न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ बनाए रखने योग्य थी और कहाः(एस. सी. सी पी.570, पैरा 5-6)

ई.

“5. हमारी राय में, न्यायाधिकरण द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति की बिक्री का निर्देश देने वाला आदेश बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 20 के तहत अपील योग्य था।उच्च न्यायालय को अधिनियम में निहित वैकल्पिक उपचार के प्रावधान को देखते हुए अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। हम उच्च न्यायालय के निर्णय की शुद्धता में जाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और क्या न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश सही था या नहीं, इसका निर्णय एक उपयुक्त मंच के समक्ष किया जाना चाहिए।

एफ.

जी.

6. यह अधिनियम बैंकों को देय ऋणों की वसूली के लिए एक विशेष प्रक्रिया प्रदान करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया है और

वित्तीय संस्थान।अधिनियम में अपील का एक पदानुक्रम प्रदान किया गया है, अर्थात् धारा 20 के तहत अपील दायर करना और इस त्वरित प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत कार्यवाही का सहारा लेकर या दीवानी मुकदमा दायर करके पटरी से उतारने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो स्पष्ट रूप से वर्जित है।भले ही किसी अधिनियम के तहत कोई प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से हटा नहीं सकता है, फिर भी, जब कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो, तो न्यायिक विवेक की मांग है कि न्यायालय उक्त संवैधानिक प्रावधानों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से बचें।यह एक ऐसा मामला था जिसमें उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था और प्रत्यर्थी को अधिनियम द्वारा प्रदान की गई अपील तंत्र का सहारा लेने का निर्देश देना चाहिए था।51. सी. सी. टी. बनाम इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड [(2008) 3 एस. सी. सी. 688] में न्यायालय ने उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम के तहत प्रत्यर्थी को जारी किए गए कारण दर्शाओ नोटिस को रद्द करते हुए पारित एक आदेश को यह कहते हुए उलट दिया कि उच्च न्यायालय ने वैकल्पिक उपचार के समाप्त होने से संबंधित बड़ी संख्या में मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों की पूरी तरह से अनदेखी की थी।

बी.

सी.

डी.

52. शहर और औद्योगिक विकास निगम में।वी. दोसू

ई.

आर्देशिर भिवंडीवाला [(2009) 1 एस. सी. सी. 168] न्यायालय ने उन मापदंडों पर प्रकाश डाला जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।उस निर्णय के पैरा 29 और 30, जिसमें इस न्यायालय के विचार हैं, निम्नानुसार हैं:(एस. सी. सी. पीपी. 175-76)

एफ.

“29. हमारी राय में, उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखने और राज्य और उसके साधनों से उचित हलफनामों के अभाव में भी खुद निर्णय लेने के लिए बाध्य है कि क्या कोई मामला रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर उसके हस्तक्षेप की आवश्यकता के लिए बनाया गया है।सार्वजनिक कानून उपचार में अनिवार्य, आदेश या निर्देश का एकतरफा रिट जारी करने जैसा कुछ नहीं है।इसके अलावा, आक्षेपित कार्रवाई या निष्क्रियता की वैधता पर विचार करते हुए न्यायालय खुद को राज्य के अभिवचनों तक ही सीमित नहीं मानेगा, बल्कि स्वतंत्र होगा।

जी.

एच.

847

महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम ग्रेटशिप (भारत) लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.] ए.

स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि क्या इस तरह का कोई मामला संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी असाधारण अधिकारिता का आह्वान करने वाले व्यक्ति द्वारा बनाया गया है।

30. न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस बात पर विचार करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि क्याः

बी.

(क) रिट याचिका के निर्णय में तथ्यों के कोई भी जटिल और विवादित प्रश्न शामिल हैं और क्या उन्हें संतोषजनक रूप से हल किया जा सकता है;

(ख) याचिका सभी भौतिक तथ्यों को प्रकट करती है;

(ग) याचिकाकर्ता के पास विवाद के समाधान के लिए कोई वैकल्पिक या प्रभावी उपाय है;

सी.

(घ) अधिकारिता का आह्वान करने वाला व्यक्ति अस्पष्टीकृत देरी और बाधाओं का दोषी है;

(ई) सीमा के किसी भी कानून द्वारा प्रतिबंधित;

डी.

(च) राहत देना सार्वजनिक नीति के खिलाफ है या किसी वैध कानून द्वारा वर्जित है; और कई अन्य कारक हैं।

न्यायालय अपने विवेकाधिकार पर उचित मामलों में राज्य या उसके उपकरणों को निर्देश दे सकता है कि वे न्यायालय के विचार के लिए सभी प्रासंगिक तथ्यों को सही और सटीक रूप से रखते हुए उचित शपथ पत्र दायर करें और विशेष रूप से उन मामलों में जहां सार्वजनिक राजस्व और सार्वजनिक हित शामिल हैं।इस तरह के निर्देशों का राज्य द्वारा हमेशा पालन किया जाना आवश्यक है।सार्वजनिक कानून उपचार में कोई राहत निश्चित रूप से केवल इस आधार पर नहीं दी जा सकती थी कि राज्य ने रिट याचिका का विरोध करते हुए अपना जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया था।इसके अलावा, सरकारी प्रवक्ताओं के खाली और आत्म-पराजित करने वाले हलफनामे या बयान स्वयं किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कानून उपचार में कोई राहत देने का आधार नहीं बनाते हैं, जिसके लिए वह अन्यथा कानून में हकदार नहीं है।"

ई.

एफ.

53 .राज कुमार शिवहरे बनाम प्रवर्तन निदेशालय [(2010)

4 एस. सी. सी. 772] न्यायालय इस मुद्दे पर विचार कर रहा था कि क्या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत उपलब्ध वैकल्पिक वैधानिक उपाय को दरकिनार किया जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र को लागू किया जा सकता है।अधिनियम की योजना की जांच करने के बाद, न्यायालय ने कहाः(एस. सी. सी पी.781, पैरा 31-32)

जी.

एच.

"31. जब शिकायत के निवारण के लिए कानून द्वारा एक सांविधिक मंच बनाया जाता है और वह भी एक राजकोषीय क़ानून में, तो सांविधिक व्यवस्था की अनदेखी करते हुए एक रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।इस मामले में उच्च न्यायालय कानून के प्रश्न पर अपील का एक वैधानिक मंच है।इसे त्याग नहीं दिया जाना चाहिए और रिट अधिकार क्षेत्र के तहत उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के मंच को लागू करने के लिए एक वादी द्वारा अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।उच्च न्यायालय, बड़े सम्मान के साथ, मामले के इस पहलू की सराहना नहीं करके एक स्पष्ट त्रुटि में पड़ गया।हालाँकि इसने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर रिट याचिका को खारिज कर दिया है।

बी.

32. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह प्रदर्शित करने के लिए कोई कारण नहीं दिया जा सकता है कि फेमा की धारा 35 के तहत उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार एक प्रभावी उपाय क्यों प्रदान नहीं करता है।वास्तव में शायद ही कोई कारण हो क्योंकि उच्च न्यायालय स्वयं अपीलीय मंच है।"

सी.

7. उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, उच्च न्यायालय ने वैधानिक उपायों को पारित करते हुए, मूल्यांकन आदेश के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर विचार करने में गंभीर गलती की है।

डी.

8. अब जहाँ तक प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के निर्णयों पर रखी गई निर्भरता का संबंध है, प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका की रखरखाव के बारे में नहीं है, बल्कि प्रश्न अपील के वैधानिक उपाय को पारित करके मूल्यांकन के आदेश के खिलाफ रिट याचिका की सुनवाई के बारे में है।तथ्यों पर गंभीर विवाद हैं कि क्या मूल्यांकन आदेश 20.03.2020 या 14.07.2020 (जैसा कि निर्धारिती द्वारा आरोप लगाया गया है) पर पारित किया गया था।निर्धारिती द्वारा अपील के वैधानिक उपचार को पारित करने के लिए कोई वैध कारण नहीं दिखाया गया है।इस न्यायालय ने लगातार यह विचार रखा है कि जब कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो, तो न्यायिक विवेक की मांग है कि न्यायालय संवैधानिक प्रावधानों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से बचें।

ई.

एफ.

जी.

9. उपरोक्त और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने मूल्यांकन आदेश के खिलाफ रिट याचिका पर विचार करने में गंभीर गलती की है।उच्च न्यायालय को रिट याचिकाकर्ता-निर्धारिती को अपील के वैधानिक उपचार का लाभ उठाने और उसके बाद कानून के तहत प्रदान किए गए अन्य उपायों का लाभ उठाने के लिए निर्वासित करना चाहिए था।

एच.

ए.

10. इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को निरस्त कर दिया जाता है।मूल्यांकन आदेश और कर की मांग के परिणामी नोटिस को चुनौती देने वाली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।प्रत्यर्थी-निर्धारिती को एम. वी. ए. टी. अधिनियम और सी. एस. टी. अधिनियम के तहत उपलब्ध अपील और अन्य उपायों के वैधानिक उपचार का लाभ उठाने के लिए हटा दिया जाता है। यह निर्देश दिया जाता है कि यदि आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर इस तरह के उपाय का लाभ उठाया जाता है, तो अपीलीय प्राधिकरण कानून के तहत अन्य शर्तों, यदि कोई हो, को पूरा करने के अधीन रहते हुए, सीमा का कोई सवाल उठाए बिना कानून के अनुसार अपने गुण-दोष पर निर्णय लेगा और उनका निपटारा करेगा।यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने किसी भी पक्ष के पक्ष में मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और यह अपीलीय प्राधिकरण और/या उपयुक्त प्राधिकरण पर है कि वह उच्च न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से किसी भी तरह से प्रभावित हुए बिना अपील/कार्यवाही पर अपने गुण-दोष के आधार पर विचार करे, जिसे अन्यथा वर्तमान आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया है। वर्तमान अपील की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.

सी.

डी.

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.